218

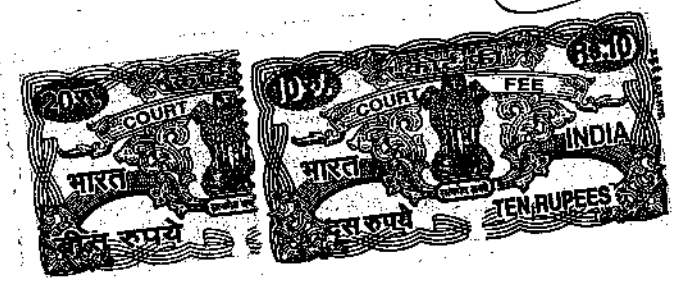

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग - 1721 - I - 16

महिला दुर्जी पुत्री रघुवा अहिरवार

निवासी श्रीनगर कंगवा तह. व जिला टीकमगढ ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्र 83/बी–121/14–15 पारित आदेश दिनांक 28/09/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बम्हौरी मडिया स्थित भूमि खसरा क्र 101/3 रकवा 1.307 हे. का विधिवत् पटटा निगरानीकर्ता को प्रदाय किया गया था जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर टीकमगढ को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की कोशिश की परंतु वह पूर्ण रूप से काबिल काश्त् भूमि नहीं है जिस कारण से

94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग॰ 1721 I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभय पक्ष के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण कमांक 83/बी–121 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 3– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4–आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को आराजी ग्राम बम्होरी जुड़ावन हल्का बम्होरी मड़िया स्थित भूमि खसरा कमांक 101/3 रकवा 1.307 हे. का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसको विकय किये जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विकय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह इस आधार पर दिया गया कि भूमि बंजर व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। आवेदक द्वारा यह कथन भी किया था कि आवेदक उक्त भूमि को विकय कर अपने निवास स्थान के समीप कृषि योग्य भूमि विकय की जा रही भूमि के बराबर अन्य भूमि कय करना चाहता है इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उसके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुए निगरानी	

निग. 1721/I/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया । 5— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। अपर कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस प्रकरण में इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के आवेदन पत्र से स्पष्ट नहीं है कि वह क्या चाहता है, जबकि आवेदक द्वारा स्प्ष्ट रूप से भूमि विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि आवेदक के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विकय कर उसके स्थान पर अपने निवास स्थान के समीप विकय की जा रही भूमि के बराबर ही अन्य भूमि कय करेगा इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत था प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2015 निरस्त किया जाता है आवेदक को भूमि खसरा कमांक 101/3 रकवा 1.307 हे. को विकय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	